भारत सरकार

विधि और न्याय मंत्रालय

न्याय विभाग

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 3323

जिसका उत्तर गुरुवार, 31 मार्च, 2022 को दिया जाना है

उत्तर प्रदेश उच्च न्यायालय में लंबित मामले

3323 श्री सैयद जफर इस्लामः

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्तमान में उत्तर प्रदेश उच्च न्यायालय में लंबित मामलों की संख्या का ब्यौरा क्या है ;

(ख) क्या उत्तर प्रदेश में कानूनी मामलों के लंबित होने के कारण लोगों को समय पर न्याय नहीं मिल पा रहा है;

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में केंद्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(घ) विगत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान उत्तर प्रदेश उच्च न्यायालय में कार्यरत न्यायाधीशों की संख्या कितनी है;

(ङ) क्या न्यायालयों की संख्या बढ़ाने की आवश्यकता महसूस हुई है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में अब तक क्या-क्या कदम उठाए गए हैं ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्री

(श्री किरेन रीजीजू)

(क) से (ग) : राष्ट्रीय न्यायिक डाटा ग्रिड (एनजेडीजी) के वेब पोर्टल पर उपलब्ध सूचना/आंकड़ों के अनुसार 25 मार्च, 2022 तक इलाहाबाद उच्च न्यायालय, उत्तर प्रदेश में लंबित मामलों की संख्या 10,31,282 है। न्यायालयों में लंबित मामलों का निपटान न्यायपालिका के अधिकार क्षेत्र में आता है। संबंधित न्यायालयों द्वारा विभिन्न प्रकार के मामलों के निपटान के लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है। न्यायालयों में

मामलों के निपटारे में सरकार की कोई भूमिका नहीं होती है। न्यायालयों में मामलों का समय पर निपटान कई कारकों पर निर्भर करता है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ, पर्याप्त संख्या में न्यायाधीशों और न्यायिक अधिकारियों की उपलब्धता, सहायक न्यायालय कर्मचारिवृंद और भौतिक अवसंरचना, अंतर्वलित तथ्यों की जटिलता, साक्ष्य की प्रकृति, पणधारियों का सहयोग अर्थात बार, अन्वेषण अभिकरण,साक्षियों और वादियों और नियमों और प्रक्रियाओं का उचित अनुप्रयोग सम्मिलित हैं।

केंद्रीय सरकार संविधान के अनुच्छेद 21 के अनुसार मामलों के त्वरित निपटान और लंबित मामलों को कम करने के लिए पूर्ण रूप से प्रतिबद्ध है। सरकार ने न्यायपालिका द्वारा मामलों के तेजी से निपटान के लिए एक ईको प्रणाली प्रदान करने के लिए कई पहलों को अपनाया है। अगस्त, 2011 में राष्ट्रीय न्याय परिदान और विधिक सुधार मिशन की स्थापना के लिए संरचनात्मक परिवर्तनों के माध्यम से और प्रदर्शन मानकों और क्षमताओं को निर्धारित करके जवाबदेही बढ़ाने के लिए प्रणाली में विलंब और बकाया को कम करके पहुंच बढ़ाने के दोहरे उद्देश्यों के साथ की गई थी। मिशन न्यायिक प्रशासन में बकाया और लम्बित के चरणबद्ध परिसमापन के लिए एक समन्वित दृष्टिकोण का अनुसरण कर रहा है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ, कम्प्यूटरीकरण, अधीनस्थ न्यायपालिका की पदसंख्या में वृद्धि, संभावित क्षेत्रों में नीति और विधायी उपायों सहित न्यायालयों के लिए बेहतर बुनियादी ढांचा अत्यधिक मुकदमेबाजी, मामलों के त्वरित निपटान के लिए न्यायालय प्रक्रिया की पुनर्रचना और मानव संसाधन विकास पर जोर देना सम्मिलित है।

(घ) : पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक के दौरान इलाहाबाद उच्च न्यायालय, उत्तर प्रदेश में कार्यरत न्यायाधीशों की संख्या निम्नानुसार है: -

क्र.सं.	वर्ष	मंजूर पदसंख्या	कार्यरत पदसंख्या
1.	2019 (01.01.2019 के अनुसार)	160	109
2.	2020 (01.01.2020 के अनुसार)	160	107
3.	2021 (01.01.2021 के अनुसार)	160	96
4.	2022 (01.01.2022 के अनुसार)	160	93

(ङ) और (च) : जिला और जिला से नीचे /अधीनस्थ (तहसील/तालुका) स्तर पर नए न्यायालयों को संबंधित उच्च न्यायालयों के परामर्श से उनकी आवश्यकता और संसाधनों के अनुसार संबंधित राज्य सरकारों द्वारा स्थापित की जाती हैं। जिला और अधीनस्थ न्यायालयों की स्थापना में केंद्रीय सरकार की कोई भूमिका नहीं है। तथापि केंद्रीय सरकार जिला और अधीनस्थ न्यायालयों के अवसंरचना के विकास के लिए केंद्रीय रूप से प्रायोजित स्कीम के अधीन राज्य सरकारों/ संघ राज्यक्षेत्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है। इसमें 9,000 करोड़ रुपए के वित्तीय परिव्यय जिसमें 5307 करोड़ रुपए का केंद्रीय हिस्सा सम्मिलित है, के साथ स्कीम को 2021-22 से 2025-26 तक जारी रखने की मंजूरी दी है । जिला और अधीनस्थ न्यायालयों के न्यायालय हॉल और आवासीय इकाइयों के निर्माण के अतिरिक्त, स्कीम के वर्तमान स्वरूप में अधीनस्थ न्यायपालिका में शौचालय परिसरों, वकीलों के हॉल और डिजिटल कंप्यूटर कक्षों का निर्माण भी सम्मिलित है। इस स्कीम के आरंभ से अब तक उत्तर प्रदेश को 1379.33 करोड़ रुपए प्रदान किए गए हैं।

****